न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी –डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या –36 / 2024

उनवानः–

श्रीमती गुड्डी देवी पत्नि श्री शिवशंकर जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम जिरौली तहसील व जिला धौलपुर

————————————प्रार्थीया / सायला

बनाम

तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर

—————————— अप्रार्थी / गैरसायल

प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी अधीन धारा 129 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितिः–

1. श्री हरी सिंह बघेल एडवोकेट प्रार्थी की ओर से

दिनांकः–02.05.2025

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया की ओर से इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया आराजी ख.नं. 527 रकवा 0.6196 है0 वाके ग्राम दूँ का पुरा तहसील व जिला धौलपुर की तन्हा खातेदार काश्तकार है तथा इसी हैसियत से काबिज है। सायला का उक्त खेत रकवा के अनुसार क्षेत्रफल नही है मौके पर कम क्षेत्रफल है जबकि खसरा नम्बर 527 के पूरे क्षेत्र 0.6196 है0 का लगान अदा करती चली आ रही है। अतः सायला अपनी कृषि भूमि का सीमाकंन करवाकर पत्थरगढी करा पाने की अधिकारी है। सायला ने तहसीलदार धौलपुर से पत्थरगढी के लिए निवेदन किया तो तहसीलदार धौलपुर ने न्यायालय से आदेश करवाने के लिए कहा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार धौलपुर को प्रार्थिया की उक्त आराजी का सीमाकंन व पत्थरगढी करने के आदेश दिए जावे।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार धौलपुर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार धौलपुर ने उनकी रिपोर्ट दिनांक 23.04.2025 में पत्थरगढी कराया जाना उचित बताया है।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए खसरा नम्बर 527 वाके ग्राम दूं का पुरा तहसील व जिला धौलपुर की पत्थरगढी करवाऐ जाने का कथन किया।

वकील प्रार्थी को सुनने उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2076–79 के मुताबिक प्रार्थिया ख.नं. 527 वाके ग्राम दूंकापुरा तहसील धौलपुर की तन्हा खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। तहसीलदार धौलपुर ने उनकी रिपोर्ट दिनांक 23.04.2025 में पत्थगढी किए जाने में कोई आपत्ति नही की है। अतः प्रार्थिया अपनी खातेदारी की आराजी की पत्थरगढी कराने की अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 527 वाके ग्राम दूं का पुरा तहसील व जिला धौलपुर की नियमानुसार पैमाईश उपरान्त पत्थरगढी किए जाने के आदेश दिए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)